रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 541] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 2, 2015/भाद्र 11, 1937
No. 541] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 2, 2015/BHADRA 11, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31अगस्त, 2015

सा.का.नि. 673(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारुप, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारुप नियमों को उस तारीख से, जिसको भारत के उस राजपत्र जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे;

केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारुप नियमों की बाबत, ऐसे किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार किया जाएगा।

प्रारुप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (चौदहवां संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 96 में, उपनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(4क). उपनियम (4) के उपखंड (i) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए,—

(क) 1 अप्रैल, 2017 को और उसके पश्चात् विनिर्मित 125 सीसी से अधिक के एल 2 वर्ग के नए वाहन माडल, आईएस: 14664:2010 के अनुरूप एंटी लाक ब्रेकिंग प्रणाली के साथ तैयार किए जाएंगे ;

(ख) 1 अप्रैल, 2018 को और उसके पश्चात् विनिर्मित 125 सीसी से अधिक के एल 2 वर्ग के विद्यमान वाहन माडल, आईएस:14664:2010 के अनुरूप एंटी लाक ब्रेकिंग प्रणाली के साथ तैयार किए जाएंगे ;

(ग) 1 अप्रैल, 2017 को और उसके पश्चात् विनिर्मित 125 सीसी से अनधिक के एल 2 वर्ग के नए वाहन माडल, आईएस: 14664:2010 के अनुरूप एंटी लाक ब्रेकिंग प्रणाली के साथ तैयार किए जाएंगे ; और

(घ) 1 अप्रैल, 2018 को और उसके पश्चात् विनिर्मित 125 सीसी से अनधिक के एल 2 वर्ग के विद्यमान वाहन माडल, आईएस:14664:2010 के अनुरूप एंटी लाक ब्रेकिंग प्रणाली के साथ तैयार किए जाएंगे।;"

[फा. सं. आरटी-11036/75/2014-एमवीएल]

संजय बंधोपाध्याय, संयुक्त सचिव

टिप्पण – मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 643 (अ) तारीख 19-08-2015 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।

IndiaCode

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2015

G.S.R. 673(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 110 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the Public.

2. Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110001.

3. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid shall be considered by the Central Government.

Draft rules

1. These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Fourteenth Amendment) Rules, 2015.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, (hereinafter referred as the said rules), in rule 96, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(4 A). notwithstanding anything contained in clause (i) of sub-rule (4),—

(a) New vehicle models of category L2 exceeding 125cc manufactured on and after the 1st April, 2017 shall be fitted with anti-lock braking system conforming to IS: 14664: 2010;

(b) Existing vehicle models of category L2 exceeding 125cc manufactured on and after the 1st April, 2018 shall be fitted with anti-lock braking system conforming to IS: 14664: 2010;

(c) New vehicle models of category L2 not exceeding 125cc manufactured on and after the 1st April, 2017 shall be fitted with combined braking system conforming to IS: 14664: 2010; and

(d) Existing vehicle models of category L2 not exceeding 125cc manufactured on and after the 1st April, 2018 shall be fitted with combined braking system conforming to IS: 14664: 2010.".

[F. No.RT-11036/75/2014-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number 643(E) dated 19th August, 2015.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064